तहसीलदार पाली बनाम बालाराम वगैरा, प्र०सं० 531/18

धारा 212 रा०का०अ० 1955

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19 सरकारी पैरो० उप०।
वकील अप्रार्थीगण उप०।
उभयपक्ष को स्थगन पर सुना गया। सरकारी पैरो० ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की किस्म बारानी है जिसमें अप्रार्थीगण ने बगैर भू-रूपान्तरण कराये वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है तथा मौके पर प्लॉटिंग एवं मकान निर्माण कार्य कर भूमि की स्थिति/स्वरूप बिगाड़ रहे हैं जिन्हें तत्काल रोका जाना आवश्यक है इसलिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।
~~विद्वान~~ विद्वान अभिभावक अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावें।
उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह उचित प्रतीत होता है कि विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
अतः पत्रावली में दिनांक-15.06.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को CONFIRM किया जाता ता फैसला मूलः वाद हो कर मूलवाद के फैसल शुमार हो पत्रावली संलग्न की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली